Saathi

Date 21 / 10 / 2020 Page: 1 of 2

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

CLASS : B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT : POLITICAL SCIENCE
PAPER : III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH : 11 (THE COUNCIL OF MINISTERS AND CHIEF MINISTER)

LECTURE NO.-16

राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य :-

मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं —

(i) शासन की नीति निर्धारित करना —
मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है और उसे लागू करना भी है।

(ii) उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बंध में राज्यपाल को परामर्श देना —
राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये सभी नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही राज्यपाल द्वारा की जाती है।

(iii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना —
राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बंध में राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाते हैं।

Scanned with CamScanner

Date ___/___/___

(IV) विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व —

विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मंत्रिगण विधान सभा और यदि विधानपरिषद हो तो विधानपरिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते और शासन के नीति का समर्थन करते हैं।

(V) कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना —

मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानूनों का निर्माण करती है। विधानमंडल में कौन-कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे; इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। अधिकांश विधेयक मंत्रिपरिषद के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते और वह अपने बहुमत के बल पर ही विधेयक को स्वीकृत करवाती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है।

(VI) बजट तैयार करवाना —

राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट कहलाता है, को तैयार करवाना भी मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है। बजट वित्तमंत्री के द्वारा विधानसभा में पेश किया जाता है, परन्तु यह मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गयी नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट के पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है।

Scanned with CamScanner